

an>

Title: Introduction of the Victims of Acid attack, Sexually abused and Trafficked Girls and Women (Compensation and Rehabilitation) Bill, 2017.

माननीय सभापति : कृम संख्या - 48 - डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि एसिड हमले, लैंगिक उत्पीड़न अथवा बलात्संग की पीड़िताओं तथा प्लेसमेंट एजेंसियों, दलालों और दुर्व्यापारियों द्वारा बलात् घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करने या देह व्यापार करने के लिए कमजोर वर्गों तथा जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्व्यापार की शिकार बालिकाओं और महिलाओं के केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले पुनर्वास उपायों और उन्हें पर्याप्त प्रतिकर का भुगतान करने तथा ऐसी सभी पीड़िताओं के लिए कारमेडिक और अन्य अपेक्षित शल्य चिकित्साओं सहित उपचार की पूरी लागत राज्य द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुवंशिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है ः

"कि एसिड हमले, लैंगिक उत्पीड़न अथवा बलात्संग की पीड़िताओं तथा प्लेसमेंट एजेंसियों, दलालों और दुर्व्यापारियों द्वारा बलात् घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करने या देह व्यापार करने के लिए कमजोर वर्गों तथा जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्व्यापार की शिकार बालिकाओं और महिलाओं के केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले पुनर्वास उपायों और उन्हें पर्याप्त प्रतिकर का भुगतान करने तथा ऐसी सभी पीड़िताओं के लिए कारमेडिक और अन्य अपेक्षित शल्य चिकित्साओं सहित उपचार की पूरी लागत राज्य द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुवंशिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

-

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

-